

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्र. एफ 4(10)पंरावि/पीपी/जीकेएन/ 2014-15                    जयपुर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

—:: आदेश ::—

विभागीय परिपत्र दिनांक 18.08.2015 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 182 (क) के क्रम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2015 (भाग-1) लागू की गई थी। उक्त ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2015 (भाग-1) के सम्बंध में प्राप्त सुझावों के निरस्तारण कर संशोधित निर्देशिका तैयार होने तक ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 (भाग-1) के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है। इस दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका -2010 लागू रहेगी।


  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा. वि.एवं पंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन सरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परि. निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रा.वि एवं पं.रा.वि/ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशासी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त,
14. रक्षित पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि